"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2003—आश्विन 11, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/एक/2.—श्री विवेक कुमार देवांगन, भा. प्र. से. (एम. टी.-93), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री देवांगन को आगामी आदेश तक केवल संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 4557/223/आजाक/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा शासन की अधिसूचना क्रमांक 2198/223/आजाक/2001/दिनांक 5-7-2001 एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-7-2001 को अतिष्ठित करते हुये हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ हज कमेटी का गठन कर निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पद (3)
1.	मान. श्री बदरुद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाई, जिला दुर्ग.	सदस्य
2.	मान. श्री मोहम्मद अकबर, विधायक, वीरेन्द्रनगर, जिला कवर्धा.	सदस्य
3.	श्री शफी कुरैशी, पार्षद, नगर निगम, रायपुर.	सदस्य
4.	श्री गफ्फार खान, पार्षद, नगर निगम, भिलाई.	सदस्य
5.	श्री शेख गफ्फार, पार्षद, नगर निगम, बिलासपुर.	सदस्य
6.	श्री याकूब रजवानी, पूर्व विधायक, महासमुंद.	सदस्य
7.	श्री फहीम खां, मुतवल्ली, जामा मस्जिद, बिलासपुर.	सदस्य
8.	श्री जफर अली शमशीर, भिलाई, जिला दुर्ग (शिया सदस्य).	सदस्य
9.	श्री सैय्यद जिया उल्ला शाह, बैरनबाजार, रायपुर.	सदस्य
10.	श्री हाजी जफर अमजद, सचिव, मुस्लिम इन्टलेक्चुअल फोरम एवं सदस्य, नूरानी एजूकेशन सोसायटी, रायपुर.	सदस्य
11.	श्री अब्दुल रशीद खान, पूर्व मुतवल्ली एवं पूर्व सरपंच, ग्राम पसान, व्हाया पेण्ड्रारोड.	सदस्य
12.	श्री मोहम्मद हनीफ, जेठाबाड़ी, मौदहापारा, रायपुर.	सदस्य
13.	श्री हमीद उल्लाह खान, पूर्व विधायक, कवर्धा.	सदस्य
14.	वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष	पदेन सदस्य
15.	सचिव, छत्तीसगढ़ हज कमेटी	पदेन सदस्य

2. कमेटी के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा.

3. यह अधिसूचना दिनांक 15-3-2003 से प्रभावशील मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिन्ज, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 4559/223/आजावि/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक 4557/223/आजाक/2003/दिनांक 15 सितम्बर, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 15th September 2003

No. 4557/223/TD/2003.—The State Government, in supersession of Govt. Notification No. 2198/223/TD/2001 dt. 5-7-2001 and even numbered notification dt. 30-7-2001, in exercise of power conferred vide section 17 read with section 18 of Haj Committee Act, 2002, hereby constitutes, Chhattisgarh Haj Committee, and nominates its members as follows :—

S. No. (1)	Name (2)	Designation (3)
1.	Hon'ble Shri Badruddin Quraishy, M.L.A., Bhilai Distt. Durg.	Member
2.	Hon'ble Shri Mohd. Akabar, M.L.A., Virendranagar, Distt. Kawardha.	Member
3.	Shri Shafi Quraishy, Ward Member, Nagar Nigam, Raipur.	Member
4.	Shri Gaffar Khan, Ward Member, Nagar Nigam, Bhilai.	Member
5.	Shri Sheikh Gaffar, Ward Member, Nagar Nigam, Bilaspur.	Member
6.	Shri Yakub Rajwani, Ex. M.L.A., Mahasamund.	Member
7.	Shri Faheem Khan, Mutwalli, Jama Masjid, Bilaspur.	Member
8.	Shri Jafar Ali Shamsheer, Bhilai, Distt. Durg (Shia Member)	Member
9.	Shri Syed Jiyaulla Shah, Byran Bazar, Raipur.	Member
10.	Shri Haji Zafar Amjad, Secretary Muslim intellectual Forum & Member, Noorani Education Society, Raipur.	Member
11.	Shri Abdul Rsheed Khan, Ex. Mutwalli & Sarpanch, Village Pasan, Via Pendraroad.	Member
12.	Mohd. Haneef, Jetha Bari, Maudahapara, Raipur.	Member
13.	Shri Hamidullah Khan, Ex. M.L.A., Kawardha.	Member
14.	Chariman, Wakf Board	Ex-Officio Member
15.	Secretary, Chhattisgarh Haj Committee.	Ex-Officio Member.

2. The member of the committee except ex-officio members, shall have a tenure of 3 years.

3. The notifications takes effect on and from 15-3-2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SERJIUS MINJ, Principal Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-20-13/2003/ 11(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002" में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

(1) उक्त नियम के नियम 3 के परिशिष्ट-1 में सरल क्रमांक 25 (फ) के बाद निम्नानुसार प्रविष्टि की जाय, अर्थात् :—

(ज) फिनाईल
(झ) टिंचर आयोडिन

(2) वर्तमान नियम के नियम 8 के पश्चात् उप-नियम 8.1 एवं 8.2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

8.1 ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा.

8.2 छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेलमेटल लौह, काष्ठ, बांस, शीशल, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम भवनों में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक् से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा.

उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी माने जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ 20-15/2003/11 (6).—राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002" में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

"छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4.9 की दूसरी पंक्ति की वर्तमान प्रविष्टि "क्रय केवल वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत फर्मों से ही किया जाए" के स्थान पर "क्रय केवल छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों से ही किया जाए" प्रतिस्थापित किया जाय.

उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी माने जावेंगे.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ 11-9/2003/11 (6).—राज्य शासन एतद्द्वारा, वृहद औद्योगिक परियोजनाओं अर्थात् जिनकी परियोजना लागत रुपये 100 करोड़ या उससे अधिक है, को भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत की रियायत, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान करता है :—

1. वृहद परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन में प्रब्याजि की रियायत देने हेतु पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ-8-10/85/11/अ. दिनांक 9-1-1989 द्वारा घोषित, रुपये 100 करोड़ से ऊपर पूंजी लागत के उद्योगों को दी गई प्रब्याजि दरों में 50 प्रतिशत की रियायत संबंधी प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के ज्ञाप क्रमांक 986/1377/वा. उ./2001 दिनांक 20-7-2001 को तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित किया जाता है.

2. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक इकाई को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के साथ एम. ओ. यू. निष्पादित करना होगा.

3. भूमि आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में कम से कम रुपये 100 करोड़ पूंजी निवेश स्थाई परिसम्पत्तियों में करना होगा.

4. इकाई द्वारा दिये जाने वाले कुल नियमित रोजगार में प्रबंधकीय वर्ग का 1/3, कुशल एवं तकनीकी वर्ग का 50 प्रतिशत तथा अकुशल वर्ग का 80 प्रतिशत रोजगार छत्तीसगढ़ के निवासियों को उपलब्ध कराना होगा. तत्संबंध में प्रमाण-पत्र, जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त कर, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को प्रस्तुत करना, इकाई की जिम्मेदारी होगी.

5. इकाई को भू-आवंटन के समय, प्रचलित भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत की रियायत के आधार पर राशि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में जमा करानी होगी. भूमि का आधिपत्य दिये जाने के पश्चात् इकाई को अधोलिखित प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य होगा—

5.1 आधिपत्य दिनांक से एक वर्ष के अंदर कारखाना भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर प्रोजेक्टर रिपोर्ट के अनुसार भवन पर होने वाले अनुमानित व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत व्यय करना होगा.

5.2 आधिपत्य दिनांक से दो वर्ष के अंदर कारखाना भवन निर्माण पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत व्यय करना होगा.

5.3 आधिपत्य दिनांक से दो वर्ष के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत मूल्य की मशीन एवं उपकरणों का फर्म आदेश देना होगा.

5.4 प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले नियमित रोजगार में उपरोक्त वर्णित शर्त क्रमांक 4 का पालन करना होगा.

इसकी वार्षिक समीक्षा की जायेगी जिसमें निवेशक को अनिवार्यत: उपस्थित होना होगा

तथा शर्तों की पूर्ति का मान्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

यदि इकाई द्वारा इनमें से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो भू-प्रब्याजि में दी गई रियायत वापिस ले ली जावेगी तथा इकाई को भू-प्रब्याजि की शेष राशि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा इस आशय की नोटिस दिये जाने के 30 दिन के अंदर जमा करानी होगी. समय पर मांग के अनुसार राशि जमा नहीं कराने पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा तथा मांग की राशि, ब्याज सहित, भू-राजस्व की वसूली के सदृश्य वसूली योग्य होगी.

6. यह प्रब्याजि रियायत उस भूमि आवंटन पर लागू नहीं होगी जो किसी इकाई विशेष के लिए अर्जित की जाकर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. के माध्यम से आवंटित की जाये. इकाई को कुल भू-अर्जन राशि (न्यायालयों द्वारा बढ़ाये गये मूल्य एवं ब्याज की राशि सहित, यदि भविष्य में ऐसा हो) तथा नियमानुसार भूमि अर्जन पर सर्विस चार्ज देना होगा.

7. उक्तानुसार भूमि आवंटन पर वार्षिक भू-भाटक की दर छत्तीसगढ़ स्टटे इण्ड.डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा निर्धारित की जायेगी परन्तु वार्षिक भू-भाटक की दर कुल देय प्रीमियम (बिना रियायत) के 2 प्रतिशत से कम नहीं होगी.

8. यदि भू-प्रब्याजि की रियायत दिये जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि इकाई ने उक्त रियायत गलत तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत कर प्राप्त कर ली है तो रियायत की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित, भू-राजस्व के बकाया की वसूली सदृश्य, वसूली योग्य होगी. वसूली योग्य यह राशि इकाई को प्राप्य अन्य वित्तीय/कराधान सुविधाओं/छूट में भी समायोजित की जा सकेगी. इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

9. इस रियायत/वसूली के संबंध में कोई भी वाद छत्तीसगढ़ राज्य के ही किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा.

10. राज्य गठन के पश्चात्, पूर्व प्रावधानों के अंतर्गत, यदि ऐसी समान रियायत किसी उद्योग को दी गई हो अथवा प्रावधानित की गई हो, तो उन पर भी पैरा क्रमांक 5 की शर्तें लागू होंगी, परन्तु उनके प्रकरण में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की गणना, भूमि का आधिपत्य दिये जाने के दिनांक के स्थान पर इस आदेश के जारी होने के दिनांक से की जायेगी. इस आदेश की शर्त क्रमांक 2 को छोड़कर अन्य सभी शर्तें भी इन उद्योगों पर लागू होंगी.

उक्त प्रावधान इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी माने जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2003

क्रमांक 5131/डी-15/193/2003/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, पूर्ववर्ती म. प्र. के कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 94/12677/14-1/भोपाल, दिनांक 3-1-1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, राजनांदगांव के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नांकित स्थान उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पटेवा तहसील राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के निम्नलिखित खसरा क्रमांकों की 5 एकड़ भूमि का स्थान :—

क्र. (1)	खसरा क्र. (2)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (3)
1.	458/1	5.00 एकड़
	योग	5.00 एकड़

जिसकी सीमायें :—

(1) उत्तर में - शासकीय भूमि
(2) दक्षिण में - शासकीय भूमि

(3) पूर्व में - पटेवा जालबांधा रोड
(4) पश्चिम में - शासकीय भूमि

Raipur, the 22nd September 2003

No.5131/D-15/193/2003/14-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares that following place including all structure, enclosures, open place or locality in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajnandgaon established by notification No. 94/12677/14-1 Bhopal, dated 3-1-1969 of previous Agriculture Department of M. P. shall be sub-market yard, namely :—

PLACE

An area of 5.00 Acre land of following Khasra Nos. at village Patewa in Tehsil Rajnandgaon District Rajnandgaon.

No. (1)	Khasra No. (2)	Area (in Acre) (3)
1.	458/1	5.00 Acre
	Total	5.00 Acre

BOUNDRY OF SUB-MARKET YARD :—

(1) On the North by - Government Land
(2) On the South by - Government Land
(3) On the East by - Patewa Jalbandha Road.
(4) On the West by - Government Land

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, अवर सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2003

क्रमांक एफ 10-1/2003/9.—राज्य शासन एतद्द्वारा खेल संघ, संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है.

(1) संक्षिप्त नाम :—

यह नियम "विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम 2003" कहलाएंगे. इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(2) परिभाषाएं :—

राज्य से तात्पर्य - छत्तीसगढ़ राज्य से है.

शासन से तात्पर्य - छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग से है.

विभाग से तात्पर्य - खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय से है.

संचालनालय से तात्पर्य - संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण से है.

अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ से तात्पर्य..	-	एशियाई या विश्वस्तर के खेल महासंघ से है. जो अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित खेल की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु सक्षम संस्था द्वारा अधिकृत किया गया है, तथा राष्ट्रीय खेल महासंघ उसकी संलग्नता प्राप्त इकाई हो.
राष्ट्रीय खेल संघ से तात्पर्य	-	राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ या युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है. यदि भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार द्वारा अलग-अलग संघों को मान्यता प्रदान की गई हो तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है.
राज्य खेल संघ से तात्पर्य	-	राष्ट्रीय खेल संघ की संलग्नता प्राप्त राज्य इकाई से है.
जिला खेल संघ से तात्पर्य	-	राज्य खेल संघ की संलग्नता प्राप्त इकाई से है.
संस्था से तात्पर्य	-	खेल गतिविधियों के संचालन के उद्देश्य से गठित एवं फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था से है.
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से तात्पर्य	-	ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल को भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा जिसमें भारतीय दल को संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा भाग लेने हेतु भेजा जा रहा है.
राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य	-	राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है.
जोनल एवं फेडरेशन कप प्रतियोगिता से तात्पर्य.	-	राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा पूरे देश को क्षेत्र में विभाजित कर आयोजित की जाने वाली अधिकृत क्षेत्रीय प्रतियोगिता एवं फेडरेशन कप के नाम से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता.
राज्य चैम्पियनशिप से तात्पर्य	-	राज्य खेल संघ द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राज्य विजेता कहलाता है.
सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य	-	उस प्रतियोगिता से है जिसमें भाग लेने हेतु आयु संबंधी किसी भी प्रकार की शर्तें न हो.
सब जूनियर/जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य.	-	राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अपने खेल के लिए संबंधित वर्ग हेतु घोषित आयु सीमा के खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता से है.
मान्यता से तात्पर्य	-	संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण एवं इसके अधीनस्थ जिला कार्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत संघ/संस्था को प्रदाय मान्यता से है.

(3) संबंधित खेल :—

इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नलिखित खेलों से संबंधित खेल संघ, खिलाड़ी एवं संबंधित व्यक्ति आर्थिक सहायता नगद राशि प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे.

3.1 ओलम्पिक, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेल, राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेल. (उपरोक्त में सम्मिलित ऐसे खेलों को ही विचार में लिया जाएगा जिन पर प्राप्त होने वाला पदक संबंधित आयोजन की पदक तालिका में क्रम निर्धारण हेतु सम्मिलित किया जाता है.)

3.2 ऐसे खेल जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा विश्वविद्यालय खेलों में सम्मिलित किया गया है.

3.3 ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयोजन हेतु दिए जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए विचार क्षेत्र में लिया जाता है.

3.4 ऐसे खेल जो उपरोक्त में से किसी भी कण्डिका में उल्लेखित विवरण में सम्मिलित नहीं है, लेकिन इस नियम के लागू होने की तिथि के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुके हैं.

(4) उद्देश्य :—

4.1 प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास, प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए खेल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रदेश में खेल संस्थाओं को स्थापित कर, खेलों से जुड़े व्यक्तियों तथा उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल संस्थाओं/संघों को विभागीय मान्यता प्रदान करना. विभागीय मान्यता के उपरान्त ही खेल संस्थायें शासन से अनुदान एवं अन्य सुविधायें प्राप्त करने के लिए पात्र होंगीं.

4.2 उन खेलों को राज्य में प्रोत्साहित करना, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सामूहिक खेल आयोजनों में सम्मिलित हैं तथा जिनके विजेता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाते हैं.

4.3 राज्य में खेल संचालित करने हेतु ऐसे संस्थाओं को चिन्हित करना, जिनके माध्यम से राज्य के खिलाड़ी राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त आयोजनों में अधिकृत रूप से भाग ले सकें.

4.4 राज्य के खेल संस्थाओं को विधि मान्य एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करना तथा इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ना, ताकि प्रत्येक खेल के विकास के लिए स्वयंसेवी रूप में वे अधिकाधिक समय दे सकें.

4.5 राज्य में विकास खण्ड स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजन तथा खेल संघों की सामान्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देना.

4.6 राज्य में विभागीय बजट का इस प्रकार से उपयोग करना, जिससे राज्य के खिलाड़ी अधिकाधिक लाभ एवं सुविधा प्राप्त कर सकें.

4.7 राज्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सभी जिलों का तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सभी विकास खण्डों की भागीदारी हो तथा जिला स्तर पर क्लब संस्कृति को बढ़ावा मिले.

4.8 राज्य के सुदूर अंचल एवं जिले के खिलाड़ी विशेषकर (आदिम जनजाति वर्ग के खिलाड़ी) जो अर्थाभाव या सुविधाओं के अभाव में खेल की मुख्यधारा में जुड़ने से वंचित रह जाते हैं उन्हें जिला/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना.

(5) मान्यता :—

5.1 राज्य में संचालित राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर के खेल संघों, अन्य खेल संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पश्चात् दी जाएगी.

5.2 संस्था/संघ खेल के विकास व संवर्धन के लिए गठित हो.

5.3 संस्था/संघ रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत जीवित पंजीकृत होने चाहिए.

5.4 संस्था की जिला/संभाग/राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भागीदारी हो.

5.5 संस्था, विगत दो वर्षों में संपादित खेल गतिविधियों का विवरण एवं उसमें हुए आय-व्यय का परीक्षित लेखा विवरण (अंकेक्षण रिपोर्ट) आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा.

5.6 राज्य खेल संघ को मान्यता के लिए अपने राष्ट्रीय खेल फेडरेशन से संबद्ध होना आवश्यक होगा. संबद्धता का अधिकृत पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

5.7 जिला संघ के संबंध में अपने राज्य खेल संघ से सम्बद्धता प्राप्त होना चाहिए.

5.8 राज्य संघ के मामले में कम से कम 11 जिला इकाईयां संबद्ध होना आवश्यक होंगी. इसी प्रकार जिला खेल संघ के मामले में 60 प्रतिशत विकासखंड इकाईयां आवश्यक होंगी.

5.9 कोई भी व्यक्ति किसी एक खेल के राज्य एवं जिला संघ में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किसी भी पद का पदाधिकारी हो सकता है लेकिन यदि वह एक से अधिक खेलों में राज्य स्तरीय संघ का उपरोक्त में से किसी भी पद का पदाधिकारी है तो उससे संबंधित किसी एक राज्य संघ को मान्यता दी जाएगी.

5.10 जिला खेल अधिकारी/विभागीय अधिकारी द्वारा संस्था के निरीक्षण के उपरान्त उसकी अनुशंसा पर ही विभागीय मान्यता प्रदान की जा सकेगी.

5.11 मान्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक होगा. (परिशिष्ट अ).

5.12 संस्था/संघ को आवेदन के साथ संस्था के वर्तमान पदाधिकारी/प्रबंधकारिणी की सूची एवं नियमावली रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

5.13 राज्य एवं जिला संघ का अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष राज्य में निवासरत होना चाहिए. अखिल भारतीय शासकीय सेवा या राज्य सेवा में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी जो संघ के किसी पद पर चयन के समय छत्तीसगढ़ में पदस्थ था लेकिन वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य राज्यों में पदस्थ है, उस पर, सिर्फ एक कार्यकाल के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी.

5.14 प्रत्येक स्तर का संघ अपने संविधान में संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के तहत संशोधन/पालन करने हेतु सहमत हों.

5.15 विभागीय मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही संघ/संस्था शासन से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे.

5.16 विभाग द्वारा एक खेल में एक ही राज्य/जिला इकाई को मान्यता प्रदान की जावेगी. (यदि एक ही खेल के दो या दो से अधिक राज्य/जिला इकाई द्वारा विभागीय मान्यता हेतु दावेदारी प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय फेडरेशन/राज्य संघ द्वारा किसी एक संघ को संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुशंसा करने के उपरान्त ही मान्यता दी जायेगी.)

(6) मान्यता संबंधी संचालक के अधिकार :—

6.1 संचालक मान्यता देने, उसे स्थगित करने के लिए सक्षम होंगे. मान्यता स्थगित या समाप्त करने के लिए साधारणत: संचालक द्वारा 21 दिवस का अवसर दिया जावेगा, ताकि संस्था अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके.

(7) निम्न कारणों से मान्यता समाप्त की जा सकेगी :—

7.1 संस्था के वित्तीय अनियमितता तथा अविश्वसनीयता पर.

7.2 संघ या संगठन को अखिल भारतीय फेडरेशन के समय-समय प्राप्त होने वाले अनुदेशों का पालन न होने पर.

7.3 विभागीय अधिकारियों/अंकेक्षकों द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को परिशुद्धता तथा शीघ्रता से पालन न करने पर तथा विभाग द्वारा निर्धारित पंजियों तथा अभिलेखों को उचित ढंग से संधारित न करने पर.

7.4 अपने नियमों, उप-नियमों और संविधान का व्यवस्थित रीति से अनुसरण न करने पर.

7.5 संचालनालय द्वारा मांगे जाने वाले विवरणों, प्रतिवेदनों एवं अन्य जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर.

7.6 मान्यता संबंधी शर्तों के उल्लंघन होने पर.

(8) मान्यता हेतु मान्यता समाप्ति के विरुद्ध अपील :—

8.1 अधिकारों के अंतर्गत संचालक द्वारा यदि मान्यता समाप्त की जाती है, तो इसकी अपील आदेश मिलने की तारीख से 30 दिवस के भीतर शासन को की जा सकेगी.

(9) आर्थिक सहायता हेतु आयु वर्ग :—

खेल संघों को सीनियर, जूनियर एवं सब-जूनियर वर्ग के लिए ही आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी. शेष वर्गों के लिए खेल संघ स्वयं व्यय वहन करेंगे. अंतर शालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु 17 वर्ष या कम तथा 17 वर्ष से अधिक 2 आयु समूह मान्य होंगे. जिन्हें क्रमश: जूनियर एवं सीनियर वर्ग लेख किया जाएगा.

(10) आर्थिक सहायता :—

10.1 **पात्रता :—**राज्य खेल संघ, जिला खेल संघ एवं पंजीकृत खेल संस्थाओं को निम्नांकित अ, ब, स स्तंभों उल्लेखित गतिविधियों के लिए आवेदन की पात्रता होगी.

(अ) राज्य खेल संघ	**(ब) जिला खेल संघ**	**(स) पंजीकृत खेल संस्थाएं**
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन	- जिला स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजन.	- अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता.
- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन	- राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय.	- जिला स्तरीय अन्तर शालेय प्रति. आयोजन.

(अ) राज्य खेल संघ

- जोनल एवं फेडरेशन कप आयोजन
- राज्य चैम्पियनशिप आयोजन
- राज्य स्तरीय आमंत्रण/रेकिंग प्रतियोगिता आयोजन.
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजन
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय.
- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय.
- सामान्य अनुदान.

(ब) जिला खेल संघ

- सामान्य अनुदान

(स) पंजीकृत खेल संस्थाएं

- विकास खण्ड, तहसील स्तरीय इण्टर क्लब, अन्तर शालेय प्रतियोगिता आयोजन.
- सामान्य अनुदान

10.2 **सहायता एवं शर्तें** :— मान्यता प्राप्त खेल संघ/संस्थाएं ही अनुदान की पात्र होंगी.

(ए) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु अधिकतम रु. पांच लाख

(1) उन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा चयन प्रक्रिया के उपरान्त गठित भारतीय दल भाग ले रहा हो.

(2) एक वित्तीय वर्ष में केवल एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी. चैम्पियनशिप आयोजन की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना के आधार पर आवंटन दिया जाएगा. विगत वर्ष जिस खेल के लिए स्वीकृति दी गई है वर्तमान में उससे दूसरे खेल को प्राथमिकता दी जाएगी.

(बी) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु

पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम रु. 1 लाख
महिला वर्ग के लिए अधिकतम रु. 1 लाख
इस प्रकार सम्मिलित रूप से अधिकतम रु. 2 लाख

(1) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु राज्य खेल संघों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. तीन से अधिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना के आधार पर आवंटन दिया जावेगा. विगत वर्ष जिस खेल के स्वीकृति दी गई है वर्तमान में उससे दूसरे खेल को प्राथमिकता दी जायेगी.

(2) एक खेल संघ को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु. दो लाख की आर्थिक सहायता इस प्रयोजन हेतु प्राप्त करने की पात्रता होगी चाहे उसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अलग-अलग आयु समूहों, लिंग समूहों में क्यों न किया जा रहा हो.

(3) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग करना संघ के लिए अनिवार्य होगा. यदि संघ ऐसा करने में असफल होता है, तो उसे प्रदाय की जाने वाली आर्थिक सहायता नियमों में उल्लेखित राशि का आधा होगी.

(सी) राज्य चैम्पियनशिप हेतु :—

राज्य चैम्पियनशिप आयोजन हेतु निम्नांकित अ, ब, स कण्डिकाओं के अनुसार जो राशि कम हो वह आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी.

(अ)	(ब)	(स)
1. जब दस या अधिक जिलों के दल महिला एवं पुरुष वर्गों में भाग ले रहे हों = रु. पचास हजार	- पुरुष वर्ग में भाग लेने वाले जिलों की संख्या गुणा रु. एक हजार = ? - महिला वर्ग में भाग लेने वाले जिलों की संख्या गुणा रु. एक हजार = ?	राज्य चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु संस्था द्वारा स्वयं के आय स्रोत से वहन की गई राशि का 150 प्रतिशत.
2. जब दस से कम तथा पांच से अधिक जिलों के दल महिला एवं पुरुष वर्गों में भाग ले रहे हों. = बीस हजार.	- चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले पुरुष, महिला खिलाड़ी दल प्रबंधक, प्रशिक्षकों की संख्र गुणा रु. एक सौ = ?	
3. जब पांच जिलों के दल महिला एवं पुरुष वर्गों में भाग ले रहे हो = रु. दस हजार.	उपरोक्त का कुल योग = ?	

टीप :—

1. राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले जिलों (जिला दल) को ही गणना में लिया जाएगा. जिला दल के अतिरिक्त अन्य इकाईयों एवं उससे संबंधित खिलाड़ी गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे.

2. यदि एक से अधिक वर्ग (सीनियर, जूनियर, सब जूनियर) की प्रतियोगिता एक ही मुख्यालय पर संयुक्त रूप से आयोजित हो रही हो तो जिलों संख्या प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक्-पृथक् गणना नहीं की जाएगी. इसी प्रकार यदि कोई खिलाड़ी एक से अधिक वर्गों में भाग ले रहा हो तो उसे गणना में केवल एक बार ही सम्मिलित किया जाएगा.

(डी) राज्य स्तरीय आमंत्रण/रेकिंग प्रतियोगिता हेतु :—

राज्य स्तरीय आमंत्रण/रेकिंग प्रतियोगिता आयोजन हेतु अधिकतम-रु. तीस हजार.

(1) प्रत्येक खेल के लिए एक आमंत्रण या रेकिंग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बजट उपलब्ध होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी.

(2) राज्य के कम से कम 8 जिलों से 15 दलों के खिलाड़ी का भाग लेना अनिवार्य होगा.

(3) अनुदान राशि की गणना नियम 10.2 सी के अनुरूप की जा सकेगी.

(ई) जिला स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु :—

जिला स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों को सम्मिलित रूप से अधिकतम रु. बीस हजार या संस्था द्वारा अपने आय स्रोत से किए गए व्यय का 150 प्रतिशत जो भी कम हो.

(1) जिला स्तरीय आयोजन हेतु अनुदान की पात्रता तभी होगी जब जिले में समाहित विकास खण्डों में से कम से कम पंचास प्रतिशत विकास खण्डों से कम से कम दस दल इसमें भाग ले रहे हों.

(एफ) अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन जोनल या फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु :—

अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन, जोनल या फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु रु. पचहत्तर हजार या आयोजक द्वारा अपने आय स्रोत से किए गए व्यय के बराबर राशि जो भी कम हो.

(1) अखिल भारतीय आमंत्रण/जोनल/फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु कम से कम 5 राज्यों से दलों का भाग लेना आवश्यक होगा. बजट उपलब्ध होने पर आर्थिक सहायता हेतु विचार किया जाएगा.

(जी) (ए) जिला स्तरीय अन्तरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु :—

जिला स्तरीय अन्तरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु पुरुष एवं महिला वर्ग सम्मिलित रूप से रु. पच्चीस हजार.

(बी) विकास खण्ड/तहसील, इन्टर क्लब, अन्तर शालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु :—

विकास खण्ड या तहसील स्तरीय इन्टर क्लब, अन्तरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु महिला एवं पुरुष वर्ग सम्मिलित रूप से रु. पंद्रह हजार.

(1) जिला स्तरीय अन्तर शालेय प्रतियोगिता हेतु :—

(अ) विद्यालय में अध्ययनरत खिलाड़ी ही भाग लेंगे.
(ब) कम से कम बीस विद्यालयों के दलों का भाग लेना आवश्यक होगा.
(स) जिले के कुल विकास खंडों के 50% विकास खण्डों के विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी.

(2) विकासखण्ड तहसील स्तरीय इण्टर क्लब, अन्तरशालेय प्रतियोगिता हेतु स्थानीय दलों को सम्मिलित किया जा सकेगा कम से कम 15 दलों का भाग लेना आवश्यक होगा.

(एच) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु :—

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु रु. पचास हजार या संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मांग की गई राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो.

(1) राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु गठित भारतीय दल में सम्मिलित राज्य के खिलाड़ी/मुख्य प्रशिक्षक/प्रबंधक के लिए यह सहायता देय होगी.

(2) यह आर्थिक सहायता उन प्रकरणों में स्वीकृत की जा सकेगी जिनके लिए भारत सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल संघ अथवा नियोक्ता से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है या इनके द्वारा उपरोक्त प्रावधान से कम राशि प्रदान की जा रही है.

(3) आमंत्रण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए यह सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी.

(4) एक खिलाड़ी को उसके जीवनकाल में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए दो बार ही यह सहायता देय होगी.

(आई) (1) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु :—

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु प्रस्थान मुख्यालय से आयोजन मुख्यालय जाने एवं वापसी का रेल्वे रियायती दर पर स्लीपर क्लास का वास्तविक रेल किराया. यदि रेल यात्रा के साथ पानी जहाज या बस यात्रा आवश्यक हो तो रेल किराया के साथ संबंधित अन्य यात्रा साधनों का वास्तविक किराया तथा प्रस्थान मुख्यालय से गंतव्य मुख्यालय की यात्रा अवधि एवं वापसी यात्रा अवधि के लिए प्रति 24 घंटे हेतु रु. सौ प्रति सदस्य.

नोट :—राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यदि रेल्वे रियायती टिकट उपलब्ध न हो तो पैसेंजर रेलगाड़ी का वास्तविक किराया देय होगा.

(2) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण हेतु :—

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण हेतु दल के शिविर आयोजन हेतु अधिकतम 21 दिवस के लिए प्रति सदस्य रु. सौ के मान से.

(3) चैम्पियनशिप में भाग लेने, प्रशिक्षण शिविर हेतु :—

(अ) संबंधित खेल के नियमों के अनुरूप एक दल में खिलाड़ियों की निर्धारित संख्या तथा एक प्रशिक्षक एवं एक प्रबंधक को दल का सदस्य माना जाएगा. खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों की अधिक संख्या होने पर उनका व्यय संबंधित खेल संघ वहन करेंगे.

(ब) दल के प्रबंधक का मनोनयन संचालनालय एवं उनके अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा किया जाएगा तथा संघ को प्रदाय आर्थिक सहायता का खिलाड़ियों के लिए उपयोग संघ, मनोनीत दल प्रबंधक के माध्यम से करेगा.

(स) दल के चयन हेतु गठित चयन समिति में संचालनालय या उसके अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा मनोनीत एक सदस्य अनिवार्यत: रखा जाएगा, तथा चयन सूची में उक्त सदस्य की सहमति अनिवार्यत: ली जाएगी.

(द) प्रशिक्षण शिविर हेतु संचालनालय पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा तथा पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आर्थिक सहायता स्वीकृत होगी.

(इ) प्रशिक्षण शिविर का अन्य व्यय संबंधित खेल संघ वहन करेंगे.

(जे) सामान्य अनुदान :—

(1) (अ) राज्य स्तरीय खेल संघ - रु. तीस हजार प्रतिवर्ष
(ब) जिला स्तरीय खेल संघ - रु. दस हजार प्रतिवर्ष
(स) पंजीकृत खेल संस्थाएं - रु. पांच हजार प्रतिवर्ष

(2) सामान्य अनुदान हेतु शर्तें :—

(अ) राज्य एवं जिला खेल संघों को इसकी पात्रता तभी होगी जब संबंधित खेल में सीनियर वर्ग तथा उससे निम्न वर्ग की सभी प्रतियोगिता का आयोजन विगत वर्ष किया जाकर राष्ट्रीय आयोजन में दल भेजा गया हो तथा वर्तमान वर्ष में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही हो.

(ब) पंजीकृत खेल संस्थाओं को इसकी पात्रता तभी होगी जब उनके द्वारा किसी खेल विशेष का नियमित अभ्यास केन्द्र संचालित किया जा रहा हो तथा नियम 10.1 (स) से संबंधित किसी प्रतियोगिता का आयोजन विगत वर्ष किया गया हो.

(11) आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि :—

(ए)	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन	-	एक वर्ष पूर्व
(बी)	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन	-	छ: माह पूर्व
(सी)	राज्य चैम्पियनशिप अयोजन	-	45 दिवस पूर्व
(डी)	जिला स्तरीय चैम्पियनशिप, अखिल भारतीय आमंत्रण, जोनल फेडरेशन कप प्रतियोगिता, जिला स्तरीय अन्तरशालेय प्रतियोगिता, विकास खण्ड/तहसील स्तरीय इण्टर क्लब, अन्तर शालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु.	-	30 दिवस पूर्व
(इ)	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु, राष्ट्रीय, राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु.	-	30 दिवस पूर्व
(एफ)	सामान्य अनुदान	-	15 अप्रैल से 15 मई के मध्य

(12) आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—

मान्यता प्राप्त खेल संघ एवं संस्थाएं, निर्धारित प्रपत्र (जो कि परिशिष्ट ब में संलग्न है) में निर्धारित समय पूर्व अपने जिले में खेल विभाग के जिला कार्यालय में तीन प्रतियों पर पूर्णरूप से भरा हुआ आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(13) स्वीकृति की प्रक्रिया :—

(अ) खेल संघ, संस्थाओं को विभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आधार पर अस्थाई मान्यता प्रदान की जाएगी, मान्यता का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष अनिवार्य होगा अन्यथा वह स्वमेव समाप्त मानी जाएगी. संचालक को वर्ष के मध्य में मान्यता स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार होगा लेकिन इसके पूर्व प्रत्येक संघ या संस्था को अपना पक्ष रखने के लिए 21 दिवस का समय दिया जाएगा.

(ब) शासन द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुपालन में आर्थिक सहायता की स्वीकृति विभाग प्रमुख या शासन द्वारा की जाएगी.

(स) सामान्य अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान पात्रता देने होने पर अग्रिम रूप से किया जाएगा.

(द) आयोजनों के लिए निर्धारित समय पर समस्त आवश्यक जानकारियों एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने की स्थिति में आयोजन पूर्व संस्था को प्राप्त होने वाली कुल अनुमानित आर्थिक सहायता राशि की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाकर उस राशि का पचास प्रतिशत भाग अग्रिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा. शेष आर्थिक सहायता की स्वीकृति आयोजन पश्चात वास्तविक गणना के आधार पर स्वीकृति की जाएगी.

(इ) प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता की सैद्धांतिक स्वीकृति आयोजन पूर्व प्रदान कर उसकी 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता अग्रिम रूप से प्रदान की जाएगी शेष सहायता वास्तविक हिसाब प्रस्तुत करने पर भुगतान की जाएगी.

(14) सामान्य नियम :—

(अ) संस्था का व्यय उसकी आय से अधिक होने की स्थिति में ही आर्थिक सहायता दी जाएगी.

(ब) प्रत्येक संस्था को आयोजन समाप्ति के दो माह के अन्दर उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तक उसके अन्य आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

(स) प्राप्त आर्थिक सहायता का निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं विभागीय/महालेखाकार द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण के लिए निर्धारित तिथि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होने पर आगामी अवसरों के लिए पात्रता होने के बावजूद भी संस्था को आयोजन पूर्व अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है.

(द) संस्था को अपना वार्षिक अंकेक्षण एवं निरीक्षण विभाग के अधिकृत अधिकारी से अनिवार्यत: कराना होगा.

(15) निरसन :—

इस नियम के प्रभावशील होते ही इससे संबंधित समस्त प्रचलित नियम, आज्ञाएं और विज्ञप्तियां निरस्त हो जाएंगी लेकिन उनके अधीन दी गई स्वीकृतियां इस नियम के अधीन दी गई या किए गए समझे जाएंगे.

(16) संशोधन :—

शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम होगा.

(17) प्रभावशीलता :—

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील माने जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

परिशिष्ट (अ)

क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

प्रति,

संचालक,
खेल एवं युवा कल्याण,
छत्तीसगढ़, रायपुर.
द्वारा उचित माध्यम.

विषय :— विभागीय मान्यता के लिए आवेदन.

महोदय,

विषयांतर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत है.

(1) संस्था का नाम ....

(2) पंजीयक फर्म एवं सोसायटी से पंजीयन क्रमांक, दिनांक (संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं पंजीयक से अभिप्रमाणित संस्था के संविधान की छायाप्रति संलग्न करें) ....

(3) संस्था के कार्यालय का पूर्ण डाक पता ....
....

(4) संलग्न इकाइयों की संख्या (संलग्न इकाइयों का पूर्ण नाम, उनके अध्यक्ष, सचिव का पूर्ण पता पृथक् से संलग्न करें. राज्य खेल संघों के मामले में केवल जिला संघों की जानकारी दें. जिला संघ सम्बद्ध क्रीड़ा मण्डल की जानकारी दें. पंजीकृत संस्थाओं के लिए यह कण्डिका का आवश्यक नहीं है.)

. . . .

(5) संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नाम, पता एवं दूरभाष क्रमांक एवं नमूना हस्ताक्षर

अध्यक्ष—

नाम ....

निवास का पता/दूरभाष क्र. ....

....

....

नमूना हस्ताक्षर- (1) .... (2) ....

सचिव—

नाम ....

निवास का पता/दूरभाष क्र. ....

....

....

नमूना हस्ताक्षर- (1) .... (2) ....

कोषाध्यक्ष—

नाम ....

निवास का पता/दूरभाष क्र. ....

....

....

नमूना हस्ताक्षर- (1) .... (2) ....

(6) खेल का नाम जिससे संस्था संबंधित है. (यह भी लेख करें कि क्या उक्त खेल ओलम्पिक एशियाड, राष्ट्र मण्डलीय खेल, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालयीन खेलों में सम्मिलित है. क्या इस खेल को भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त होती है या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे पूर्व में आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है.)

....

(7) संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष क्या किसी दूसरे खेल के राज्य संघ में उपरोक्त में से किसी पद के पदाधिकारी है यदि हां तो संबंधित इसकी संस्था एवं पदाधिकारी के बारे में जानकारी दें. (जिला तथा पंजीकृत संस्थाओं के लिए यह जानकारी आवश्यक नहीं है.)

....

(8) संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष क्या राज्य के बाहर निवासरत हैं यदि हां तो जानकारी दें.

....

(9) निम्नांकित पृथक् से संलग्न करें.

(अ) राज्य/जिला खेल संघों के मामले में उच्च स्तर के संघ से संलग्नता

(ब) संस्था के वर्तमान पदाधिकारी एवं उनका कार्यकाल (पंजीयक फर्म एवं सोसायटी से अभिप्रमाणित कराकर)

(स) विगत दो वर्षों में संस्था की सम्पादित खेल गतिविधियों का विवरण

(द) विगत वर्ष का आय व्यय का परीक्षित लेखा विवरण

(इ) जिला खेल अधिकारी/विभागीय अधिकारी का निरीक्षण टीप.

घोषणा-पत्र

हम घोषणा करते हैं कि

(1) उपरोक्त विवरण सही है तथा यह संस्था किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेगी जिसका आधार राजनीति से, धर्म या सम्प्रदाय हो.

(2) संस्था, शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा विभाग द्वारा भविष्य में लागू किए जाने वाले नियमों, निर्देशों तथा आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है तथा आवश्यकता होने पर शासन के दिशा निर्देशों के तहत अपने संविधान में परिवर्तन किया जाएगा.

(3) संस्था की आम स्था. (वार्षिक बैठक) एवं विभाग के प्रतिनिधि को अनिवार्यतः आमंत्रित किया जाएगा.

(4) विभाग द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के खिलाड़ियों के लिए राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यदि विभाग लेख करें तो उन्हें एक दल के रूप में प्रवेश दिया जाएगा.

(5) खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिता में भेजने हेतु गठित चयन समिति में विभाग का एक प्रतिनिधि अनिवार्यतः रखा जाएगा.

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

कोषाध्यक्ष **सचिव** **अध्यक्ष**

परिशिष्ट (ब)

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें)

क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

प्रति,

संचालक,
खेल एवं युवा कल्याण,
छत्तीसगढ़, रायपुर.
द्वारा-उचित माध्यम.

विषय :— आर्थिक सहायता के लिए आवेदन.

महोदय,

निम्नांकित गतिविधि के लिए निर्धारित प्रपत्र में अनुदान आवेदन-पत्र प्रस्तुत है.

(1) संघ/संस्था का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक ....

....

....

....

(2) पंजीयक फर्म एवं सोसायटी से पंजीयन क्रमांक, दिनांक ....

....

(3) खेल एवं युवक कल्याण विभाग से मान्यता क्रमांक दिनांक

....

(4) संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का पूर्ण नाम, निवास का पूर्ण पता एवं दूरभाष क्रमांक
अध्यक्ष—

नाम ....

निवास का पता/दूरभाष क्र. ....

....

....

सचिव—

नाम ....
निवास का पता/दूरभाष क्र. ....

....

....

कोषाध्यक्ष—

नाम ....
निवास का पता/दूरभाष क्र. ....

....

....

(5) संस्था द्वारा विगत वर्ष प्राप्त किए गए अनुदान का विवरण. वर्ष . . . . .के लिए

प्राप्त अनुदान का विषय	प्राप्त अनुदान राशि
....	....
....	....
....	....
....	....

(प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न करें.)

(6) चालू वर्ष में प्राप्त किए गए अनुदान का विवरण

प्राप्त अनुदान का विषय	प्राप्त अनुदान राशि
....	....
....	....
....	....
....	....

(7) यदि अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/जोनल/फेडरेशन कप/अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता हेतु अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ)	प्रतियोगिता का नाम	....
(ब)	आयु वर्ग	सीनियर/जूनियर/सब जूनियर (सही का निशान लगाएं)
(स)	आयोजन स्थल	....
(द)	आयोजन तिथि	....
(इ)	केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि	....
(फ)	राज्य शासन से अपेक्षित अनुदान राशि. (नियमों में उल्लेखित प्रावधान से ज्यादा नहीं लिखा जाय).	....
(ज)	खिलाड़ियों की अनुमानित संख्या	....
(ह)	भाग लेने वाले दलों की सूची	(संलग्न करें)
(क)	अनुमानित आय-व्यय विवरण (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किन्हीं दो से हस्ताक्षरित)	(संलग्न करें)
(ख)	राष्ट्रीय संघ का अधिकार/आवंटन पत्र	(संलग्न करें)

(8) यदि राज्य चैम्पियनशिप/राज्य स्तरीय आमंत्रण/राज्य रेकिंग जिला स्तरीय चैम्पियनशिप, जिला स्तरीय अन्तरशालेय प्रतियोगिता या विकास खण्ड/तहसील स्तरीय इन्टर क्लब, अन्तरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ)	प्रतियोगिता का पूरा नाम	....
(ब)	आयु वर्ग	सीनियर/जूनियर/सब जूनियर (सही का निशान लगाएं)
(स)	आयोजन स्थल	....
(द)	आयोजन तिथि	....
(इ)	पुरुष वर्ग में भाग लेने वाले दल की अनुमानित संख्या.	....
(फ)	महिला वर्ग में भाग लेने वाले दल की अनुमानित संख्या.	....
(ग)	प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ी, दल प्रवंधक एवं प्रशिक्षकों की कुल अनुमानित संख्या.	....
(ह)	आयोजन में शासकीय अनुदान के अतिरिक्त स्वयं के आय स्रोत से संस्था द्वारा कितनी राशि व्यय किया जाना संभावित है.	....

(ज) आयोजन का कुल अनुमानित आय, व्यय विवरण. .... (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किन्हीं दो से हस्ताक्षरित)

(टीप—राज्य चैम्पियनशिप आयोजन हेतु प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला वर्ग में केवल जिला दल की संख्या बताई जाए, तथा जिला दल के नामों की सूची तथा उन दलों से भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ी प्रबंधक एवं प्रशिक्षकों की संख्या पृथक् से संलग्न करें. शेष आयोजन हेतु भाग लेने वाले दलों की सूची तथा उन दलों से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या पृथक् से संलग्न करें.)

(9) यदि राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व, प्रशिक्षण शिविर के लिए अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ) चैम्पियनशिप का नाम, ...

आयोजन स्थल, आयोजन तिथि. ....

(ब) शिविर आयोजन स्थल एवं पूर्ण पता ....

....

(स) आयोजन तिथि ....

(द) खेल के नियमों के अनुसार एक दल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या. ....

(इ) शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों की वास्तवित संख्या. .... (अनुमानित खिलाड़ियों के नाम की सूची पता सहित संलग्न करें)

(फ) अनुमानित कुल व्यय .... (अनुमानित आय-व्यय विवरण पृथक् से संलग्न करें.)

(10) यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय के लिए अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ) प्रतियोगिता का नाम ....

(ब) आयोजन तिथि ....

(स) आयोजन स्थल ....

(द) भाग लेने वाले खिलाड़ियों, मैनेजर, प्रशिक्षक की कुल संख्या. .... (संबंधितों का पूर्ण डाक पता सहित सूची संलग्न करें)

(इ) प्रतियोगिता से संबंधित उच्च स्तर के संघ द्वारा जारी सूचना पत्र संलग्न करें. ....

(11) यदि सामान्य अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो निम्नांकित जानकारी दें.

(अ) संस्था जिस खेल से संबंधित है उस खेल की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप किन-किन आयु वर्ग में होती है. .... (सीनियर, जूनियर, सबजूनियर आदि)

(ब) क्या उपरोक्त सभी वर्गों में विगत वर्ष राज्य स्तरीय आयोजन/जिला स्तरीय आयोजन/अन्य आयोजन संस्था द्वारा कराया गया है. यदि हां तो समस्त वर्गों/अन्य आयोजन के आयोजन स्थल, आयोजन तिथि, भाग लेने वाले दलों के नाम, खिलाड़ियों की कुल संख्या प्रत्येक आयोजन में कुल व्यय पृथक् से संलग्न करें. .... (पंजीकृत संस्थाएं अन्य आवेदन की जानकारी दें)

(स)	क्या विगत वर्ष राष्ट्रीय/राज्य चैम्पियनशिप के सभी वर्गों में राज्य/जिला का दल भेजा गया है. यदि हां तो समस्त वर्गों के आयोजन स्थल, आयोजन तिथि, भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम, पूर्ण डाक पता सहित जानकारी पृथक से संलग्न करें.	....
(द)	संस्था का चालू वर्ष का अनुमानित आय व्यय विवरण संलग्न करें	.... (अनुमानित आय में शासकीय अनुदान राशि निर्धारित प्रावधान से अधिक नहीं दर्शाया जाए. जानकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किन्हीं दो से हस्ताक्षरित हो.)
(इ)	संस्था के बैंक खाता के संबंध में जानकारी. बैंक का नाम एवं बैंक खाता क्रमांक दर्शाएं.	.... (यदि एक से अधिक खाता संचालित किया जा रहा हो तो सभी की जानकारी दें.)
(फ)	क्या संस्था द्वारा खेल का नियमित अभ्यास केन्द्र संचालित किया जा रहा है. यदि हां तो स्थान एवं प्रशिक्षण समय की जानकारी दें.	....
(ज)	संस्था द्वारा वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेण्डर संलग्न करें.	....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम- ....

पद मुद्रा

सचिव

खेल संघ/संस्था

घोषणा-पत्र

हम घोषणा करते हैं कि विवरण सही है, तथा उक्त विवरण तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं.

हम यह भी घोषणा करते हैं कि संस्था अनुदान राशि के उपयोग हेतु नियमों का पालन करेगी तथा उसका पालन नहीं होने पर अनुदान राशि वापस करेगी.

हम यह भी घोषणा करते है कि शासन द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के संबंध में इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी प्रचार माध्यमों को दिए जाने पर हमें आपत्ती नहीं होगी.

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

कोषाध्यक्ष **सचिव** **अध्यक्ष**

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2003

क्रमांक 169/एफ-73-169/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "श्री जैन सर्वोदय यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "श्री जैन सर्वोदय यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 22nd September 2003

No. 169/F-73-169/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "SHRI JAIN SARVODAYA UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "SHRI JAIN SARVODAYA UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-73-82/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "एशिया पैसीफिक इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "एशिया पैसीफिक इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 22nd July, 2003

No. F-73-82/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "ASIA PACIFIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "ASIA PACIFIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-73-83/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "आई. आई. ए. एस. इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "आई. आई. ए. एस. इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 22nd July 2003

No. F-73-83/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "IIAS INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "IIAS INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-73-85/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो ''त्रिवेणी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''त्रिवेणी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 22nd July 2003

No. F-73-85/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "TRIVENI INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "TRIVENI INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in forc

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2003

क्रमांक एफ-73-91/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो ''एन. आई. आई. एल. एम. यूनिवर्सिटी,'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''एन. आई. आई. एल. एम. यूनिवर्सिटी'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th July 2003

No. F-73-91/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "NIILM UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "NIILM UNIVERSITY," to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-98/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "डॉ. एस. जी. रेड्डी यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "डॉ. एस. जी. रेड्डी यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 19th August 2003

No. F-73-98/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Dr. S. G. REDDY UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "DR. S. G. REDDY UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक एफ-73-140/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "एआईएम यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "एआईएम यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 25th August 2003

No. F-73-140/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "AIM UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "AIM UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-158/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "के. जी. एन. यूनिवर्सिटी" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "के. जी. एन. यूनिवर्सिटी," को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 15th September 2003

No. F-73-158/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "K. G. N. UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "K. G. N. UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 4 अगस्त 2003

क्रमांक 6/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सामरी	सरईडीह	4.923	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, अम्बिकापुर.	सरईडीह तालाब निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2003

क्रमांक 1385/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	नांहदा	0.81	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नांहदा जलाशय के बायी नहर में अर्जित करने बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अगस्त 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1227.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	डभराखुर्द प. ह. नं. 19	0.146	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-2, चांपा.	बिर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/748.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	धुरकोट प.ह.नं. 31	7.800	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	धुरकोट उप वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/749.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरजूनी प.ह.नं. 9	1.493	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	बगडेवा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/750.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	केरीबन्धा प.ह.नं. 6	3.063	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	बगडेवा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/728.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सेरो प.ह.नं. 10	0.336	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	धुरकोट उप वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/729.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बोड़ासागर प.ह.नं. 10	0.630	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	सिंधरा वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/730.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सेरो प.ह.नं. 10	0.375	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंधरा वितरक माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/731.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा प.ह.नं. 7	0.177	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंधरा वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/732.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी प.ह.नं. 7	0.117	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंधरा वितरक माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/733.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प.ह.नं. 6	4.208	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंधरा वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/734.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प.ह.नं. 6	0.501	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंधरा वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लांन) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/735.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प.ह.नं. 6	0.738	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	सिंधरा वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/736.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुखदा प.ह.नं. 5	2.341	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंधरा वितरक माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/737.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प.ह.नं. 10	2.328	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा	सिंधरा वितरक नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1229.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सोनियापाट प. ह. नं. 9	0.332	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-2, चांपा.	सोनियापाट डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1230.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सिलादेही प. ह. नं. 21	0.130	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-2, चांपा.	बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1231.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	अफरीद प. ह. नं. 10	0.380	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-2, चांपा.	अफरीद डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2003

प्रकरण क्र. 21-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	पोड़ी प.ह.नं. 7	0.20	कार्यपालन यंत्री, प्र. मं. ग्रा. सं. यो., कवर्धा.	प्र. मं. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत पोड़ी से बैहरसरी सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2003

प्रकरण क्र. 22-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	उसलापुर प.ह.नं. 7	2.90	कार्यपालन यंत्री, प्र. मं. ग्रा. सं. यो., कवर्धा.	प्र. मं. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत पोड़ी से बैहरसरी सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2003

प्रकरण क्र. 23-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	नेवारी प.ह.नं. 29	1.88	कार्यपालन यंत्री, प्र. मं. ग्रा. स. यो., कवर्धा.	प्र. मं. ग्रा. स.. यो. के अंतर्गत जोराताल से रबेली सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2003

प्रकरण क्र. 24-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	डबराभाट प.ह.नं. 29	0.12	कार्यपालन यंत्री, प्र. मं. ग्रा. स. यो., कवर्धा	प्र. मं. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत जोराताल से रबेली सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2003

प्रकरण क्र. 25-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बिजई प.ह.नं. 11	0.49	कार्यपालन यंत्री, प्र. मं. ग्रा. स. यो., कवर्धा	प्र. मं. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत जोराताल से रबेली सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2003

प्रकरण क्र. 26-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	चारभाठा प.ह.नं. 59	1.43	कार्यपालन यंत्री, प्र. मं. ग्रा. स. यो., कवर्धा	प्र. मं. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत ग्राम चारभाठा से गोछिया सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2003

प्रकरण क्र. 27-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	जोराताल प.ह.नं. 29	0.05	कार्यपालन यंत्री, प्र. मं. ग्रा. स. यो., कवर्धा	प्र. मं. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत जोराताल से रबेली सड़क निर्माण.

कबीरधाम, दिनांक 9 सितम्बर 2003

प्रकरण क्र. 28-अ/82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बन्दौरा प.ह.नं. 26	0.056	कार्यपालन यंत्री, प्र. मं. ग्रा. स. यो., कवर्धा.	प्र. मं. ग्रा. स. यो. के अंतर्गत मुख्य मार्ग से गोछिया सड़क निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 सितम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/ सन् 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	उजलपुर प.ह.नं. 36	19.870	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1075/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/06/अ-82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	परसदाखुर्द	0.097	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोटरी नाला जलाशय योजना के अंतर्गत.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2003

क्रमांक 1076/वा-1/अविअ/भू-अर्जन//अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	गुजरा प. ह. नं. 27	0.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	दशपुर जलाशय योजना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 99/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं.10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.807 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1017/1, 1017/2, 1017/3	0.040
1000	0.032
1015	0.008
1014	0.032
1004/ 1, 2, 3	0.032
1013/1, 2, 3	0.081
1012	0.081
1008	0.081
1007	0.065
948	0.065
949	0.121
945	0.085
944	0.085
943	0.040
926	0.008
927	0.065
928	0.073
929	0.020
933, 932	0.129
915	0.138
911/2, 912, 380/1, 380/2, 911/1	0.202
381, 382, 385	0.085
383/1, 382/2	0.121
377	0.101
358	0.125
359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5	0.146
266/1, 266/2	0.085
265/1, 265/2	0.073
264	0.129
263	0.081
262	0.040
261/1, 261/2, 261/3	0.065
271	0.057
272	0.036
273	0.093
276/1, 276/2, 276/3	0.032
337/1, 337/2	0.028
338/1, 338/2, 338/3	0.162
443	0.081
444	0.012
441	0.032
442	0.008
440	0.069
427	0.040
436	0.036
427	0.012
428	0.081
426	0.049
526/1,2,3,4,5	0.065
527/1, 2	0.040
652	0.097
425	0.053
435	0.016
1001	0.154
714/1, 2	0.020
योग	3.807

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महुआ डेरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 287/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
315, 316	0.255
314/2, 315/3	0.251
314/1	0.146
307/1	0.202
313/1	0.012
573/2	0.049
308/1	0.049
307/2	0.093
योग	1.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1195/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बाराद्वार बस्ती, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.546 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1995/15	0.093
1995/21	0.085
1995/1	0.049
1995/18	0.024
2123/1	0.101
2376/2	0.040
2100/2	0.049
2149/2	0.016
2160/3	0.089
योग 9	0.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महुआभाठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1196/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-सक्ती
   (ग) नगर/ग्राम-डेल्हाडीह, प. ह. नं. 11
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	274/15	0.032
	274/8	0.053
योग	2	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1197/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-चांपा
   (ग) नगर/ग्राम-पोड़ीशंकर, प. ह. नं. 16
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	637/1	0.073
योग	1	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महुआडीह उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1198/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-चांपा
   (ग) नगर/ग्राम-पोड़ीशंकर, प. ह. नं. 16
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
707/36	0.202
योग 1	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लखुर्री उप शाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1199/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38/2	0.065
योग 1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़गड़ी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1200/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-करनौद, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
958/1	0.036
942/2	0.069
922/1	0.016
922/2	0.016
921/1	0.008
योग 5	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोविन्दा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1201/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चांपा
(ग) नगर/ग्राम-गोविन्दा, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.556 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1377/1	0.024
	1377/6	0.024
	1377/9	0.016
	1571/1, 1565/1	0.085
	1571/2, 1565/2	0.085
	1552/2	0.028
	1597/1	0.012
	1552/4	0.032
	1556/1	0.085
	1556/3	0.113
	1624	0.040
	1603/2	0.012
योग	12	0.556

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोविन्दा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1202/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चांपा
(ग) नगर/ग्राम-गोविन्दा, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.771 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	48	0.061
	827/2	0.016
	828	0.020
	747	0.024
	829/1, 830/1, 831/1, 835/1	0.049
	766/1, 762/1, 763/1, 768/1	0.166
	463	0.101
	425/2	0.008
	425/1	0.008
	746	0.012
	749	0.081
	424	0.012
	462	0.032
	423/2	0.008
	423/1	0.008
	422	0.053
	768/2 क	0.040
	759/1	0.008
	455	0.024
	412	0.040
योग	20	0.771

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोविन्दा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1203/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	193/27	0.255
	196/39	0.004
योग	2	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कमरीद डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1204/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तनौद, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	98/5	0.089
	108/1	0.036
योग	2	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगा कोहरौद उप शाखा के माइनर नं. 11 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1206/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तनौद, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
390/3	0.069
384/1, 385/1, 387/1	0.032
योग	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगा कोहरौद उप शाखा के माइनर नं. 13 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1207/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री, प. ह. नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
320/10	0.129
योग 1	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिथमपुर डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1208/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बारगांव, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.481 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1393/10	0.214
1393/4	0.053
1393/2	0.024
1393/5	0.024
1390/2	0.097
1390/1	0.069
योग 6	0.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बारगांव माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1209/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-लोहरसी, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2402/1	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरदा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1210/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-लोहरसी, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	54	0.085
योग	1	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कामता माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1211/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-मेहंदी, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	488/1	0.073
	488/2	0.089
योग	2	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मेहंदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1212/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरिया, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	597	0.129
	598/2	0.101
योग	2	0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चंडीपारा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1213/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-राहौद, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	674/2	0.121
योग	1	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1214/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दुरपा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.260 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1561/2	0.057
1561/3	0.069

	(1)	(2)
	1602	0.134
योग	3	0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1215/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-दुरपा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	613/22	0.061
	604	0.049
योग	2	0.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुरपा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1216/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिवारीपारा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.368 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	104/1	0.186
	149/2	0.093
	179/3	0.073
	148/2	0.008
	171/1	0.008
योग	5	0.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शंभू नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1217/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-मुड़पार, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.460 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150/9	0.057
150/11	0.049
150/17	0.049
150/23	0.028
150/20	0.057
148/4	0.028
148/3	0.028
148/5	0.057
146	0.142
144/1	0.049
144/3	0.012
145/13	0.053
145/5	0.065
145/9	0.077
145/15	0.101
145/11	0.077
145/14	0.053
145/4	0.085
134/6	0.032
134/4	0.073
134/1	0.081
135/1	0.085
129/2	0.061
129/5	0.061
योग 24	1.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भुई गांव वितरक के माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1218/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-बड़गड़ी, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226/2	0.105
421	0.032
422	0.024
योग 3	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़गड़ी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1219/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-कपिस्दा, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1186/1	0.085
	1242	0.061
	1280/1	0.020
	229/2	0.024
	231	0.069
योग	5	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनकपुर उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1220/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-गोविंदा, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.118 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1505/3	0.057
	1514/1	0.061
योग	2	0.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनकपुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1221/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-करनौद, प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1215/1	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनकपुर उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जुलाई 2003

क्र. 1222/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ीशंकर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.502 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
40/2	0.040
108/3, 108/4	0.121
116/3	0.028
169/2	0.040
223	0.093
233/4, 233/5	0.040
233/1	0.016
227	0.061
230	0.032
309/1	0.012
326	0.008
327	0.008
योग	0.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोड़ीशंकर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 1/अ-82/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी
- (ग) नगर/ग्राम-चन्द्रनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.528 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
389/2	0.080
320	0.016
363	0.052
395	0.040
75/1	0.044
75/3	0.085
350	0.020
344	0.081
347	0.008
349/2	0.024
325	0.052
351/2	0.024
362/1	0.060
397	0.044
396/6	0.007
389/3	0.081
254	0.048

(1)	(2)
388	0.097
323/1	0.020
76	0.004
74	0.036
322	0.016
346	0.001
348/8	0.045
333/1	0.004
351/1	0.024
351/3	0.024
333/2	0.026
257/1	0.032
314/1	0.020
256	0.020
389/1	0.016
323/2	0.044
326	0.016
323/2	0.028
343	0.004
342	0.057
348/2	0.044
327	0.040
317/8	0.006
321	0.045
362/2	0.049
257/2	0.037
योग 43	1.528

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी
- (ग) नगर/ग्राम-कोदवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-36.583 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
116	0.158
142	0.530
120	0.049
110	0.206
106/2	0.450
113/2	0.337
213	0.020
201/2	0.262
201	0.264
225	0.287
168/1	0.101
131/1	0.324
130/1	0.131
89/11/1	1.490
89/11/3	0.128
400	0.336
113	0.498
106/1	0.352
112/1	0.320
212	0.016
202/1	0.612
126	0.101
114/1	0.186
207	0.182
200	0.121
202/2	0.613
117	0.121
119	0.040
121/1	0.095
121/2	0.738

(1)	(2)	(1)	(2)
108/2	0.405	125	0.277
209/1	0.158	387	0.020
102	0.518	206	0.125
385	0.036	122/1/2	0.048
104	0.312	201/4	0.150
428	0.138	191	0.206
195	0.409	226	0.393
133	0.344	197/1	0.588
130/2	0.162	197/2	0.040
89/11/2	0.405	188	0.065
99/1	0.820	189/1	0.300
99/2	0.750	189/2	0.105
79	0.010	181/3	0.129
107	0.036	464	0.008
209/2	0.121	468	0.045
111/1	0.097	75	0.040
124	0.388	167	0.010
127	0.089	137	0.036
122/1/1	0.049	141	0.020
114/2	0.186	182	0.700
199	0.113	73	0.206
190	0.267	216	0.162
121/4	0.528	228/1	0.050
74/2	0.660	230/2	0.020
121/3	0.178	389	0.040
122/2	0.620	223/1	0.473
112/2	0.336	419	0.304
211/1	0.172	430	0.069
111/2	0.098	470	0.109
109	0.255	405	0.364
105	0.275	433	0.330
136/1	0.168	664	0.113
130/3	0.387	662	0.057
459	0.162	172/1	0.010
134	0.089	228/2	0.089
433/3	0.330	198/1	0.203
390	0.049	198/2	0.048
77/2	0.052	192	0.338
103	0.129	194/1	0.413
108/1	0.308	194/2	0.170
211/2	0.152	431	0.139
201/3	0.262	465	0.642

(1)	(2)
177	0.344
78	0.020
386	0.028
220	0.425
64	0.010
72/1	0.020
74/1	0.648
217/4	0.230
230/1	0.030
228/4	0.030
427	0.121
417	0.040
420	0.150
432	0.057
461/2	0.162
407	0.405
522	0.065
665	0.020
652	0.134
196/1	0.206
196/2	0.114
186	0.817
193	0.450
179/2	0.664
179/3	0.420
433/1	0.664
467	0.045
179/1	0.332
139	0.032
77/1	0.161
229	0.190
178	0.421
76	0.010
215	0.223
426/2	0.040
228/3	0.050
231/3	0.020
424	0.045
418	0.010
423	0.150
425	0.073
401	0.010
462	0.142
525	0.012
653	0.388
योग 169	36.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 5/अ-82/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सामरी (कुसमी)

(ग) नगर/ग्राम-रेहड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.776 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
697	0.010
698	0.010
701/1	0.030
664	0.010
674	0.260
694/1	0.010
660	0.020
681	0.328

	(1)	(2)
	662	0.247
	692	0.121
	691	0.277
	661	0.151
	665	0.302
योग	13	1.776

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.